Lecture No. 2

Name of the College - A.P.S.M. College, Barauni, Begusarai,
Name - Dr. Bharti Kumari (अ.उ.)
Deptt - A.I.H & C

Lesson/Plan - B.A Part II (H) paper - III

Name of the Topic - Ancient Indian Town Administration.

Date - 19-06-2021

प्राचीन भारतीय नगर प्रशासन :- मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक भारत में अनेक नगरों की स्थापना हो चुकी थी। हड़प्पा के नगरों के पतन के पश्चात् अनेक आर्थिक -सामाजिक और राजनीतिक कारणों से 6ठी शताब्दी ई.पू. में पुनः नगरों के उदय व विकास ने अनेक नई समस्याओं को जन्म दिया। अतः इनके समाधान के लिए चन्द्रगुप्त मौर्य ने नगर प्रशासन (म्युनिसिपल प्रशासन) की ओर ध्यान दिया।

स्थानीय शासन के अंतर्गत तत्कालीन नगर -शासन का बड़ा महत्व था। 'मेगास्थनीज' ने इसका विस्तृत विवरण दिया है। यह आधुनिक काल के म्युनिसिपल बोर्ड की तरह कार्य करता था। कौटिल्य ने भी 'नगराध्यक्ष' का वर्णन किया है। साम्राज्य के अन्यान्य नगरों में भी ऐसी व्यवस्था रही होगी; ऐसी अनुमान लगाया जा सकता है। 'मेगास्थनीज' के अनुसार पाटलिपुत्र की नगरसभा छह उपसमितियों में विभक्त थी और प्रत्येक उपसमिति में पाँच - पाँच सदस्य थे।

(1) पहली उपसमिति का कार्य - औद्योगिक तथा शिल्प सम्बंधी कार्यों का निरीक्षण करना था। मजदूरी की दर निश्चित करना तथा इस बात का विशेष ध्यान देना कि शिल्पी लोग शुद्ध तथा पक्का माल काम में लायें। और मजदूरों के कार्य का समय तय करना इसी उप समिति का कार्य था। शिल्पियों का समाज में बड़ा आदर था। प्रत्येक शिल्पी राष्ट्र की सेवा में नियुक्त माना जाता था।

(2) दूसरी उपसमिति - का कार्य विदेशियों का P.T.O.

Scanned with CamScanner

सत्कार करना था। जो विदेशी पाटलिपुत्र आते थे, उन पर यह उपसमिति निगाह रखती थी। विदेशियों के निवास सुरक्षा और समय - समय पर औषधोपचार का कार्य भी इसी उपसमिति के जिम्मे था। किसी विदेशी की पाटलिपुत्र में मृत्यु हो जाने पर उसके रिवाज के अनुसार उसे दफनाने और उसकी जायदाद तथा संपति का प्रबंध इसी उपसमिति का कार्य था।

(3) तीसरी उपसमिति - का काम था मर्दुमशुमारी। इसी उपसमिति द्वारा मृत्यु और जन्म का लेखा-जोखा (आँकड़ा) तैयार किया जाता था। कर लगाने में यह आँकड़ा उपयोगी होता था।

(4) चौथी उपसमिति - क्रय-विक्रय के नियमों का निर्वाचन करती थी। भार और माप के परिमाण निश्चित करना और व्यापारी लोग उसका शुद्ध-शुद्ध और सही-सही उपयोग करते हैं या नहीं - इसका निरीक्षण भी इसी उपसमिति का कार्य था। व्यापारी जब किसी खास वस्तु की अनुमति प्राप्त करना चाहते थे तो इसी उपसमिति के पास आवेदनपत्र भेजते थे। ऐसी अनुमति देते समय यह उपसमिति अतिरिक्त कर भी वसूल करती थी।

(5) पाँचवी उपसमिति - व्यापारियों पर इस बात के लिए कड़ा निरीक्षण रखती थी लोग नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचते, क्योंकि ऐसा करना नियम के विरुद्ध था। यह नियम भंग करने पर सजा दी जाती थी।

छठी उपसमिति - का कार्य क्रय-विक्रय पर टैक्स वसूल करना होता था। जो वस्तु जिस कीमत पर बेची जाए उसका दसवां भाग कर के रूप में नगरसभा को दिया जाता था। यह कर न देने पर कड़े दंड की व्यवस्था थी।

इन छः (6) उपसमितियों के पृथक-पृथक कार्यों का उल्लेख कर मेगास्थनीज ने लिखा है कि ये कार्य है जो उपसमितियाँ पृथक-पृथक करती है। पर, सामूहिक रूप में जहाँ उपसमितियों को विशेष रूप से अपने-अपने कार्यों का ख्याल रखना होता है, वहीं वे सब मिलकर सार्वजनिक या साधारण हित के कार्यों पर भी ध्यान देती है। यथा सार्वजनिक इमारतों को सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत का ख्याल रखना, कीमत नियंत्रित करना। बाजार, बंदरगाह, और मंदिरों का ध्यान रखना।

इससे स्पष्ट है कि पाटलिपुत्र का शासन तीस 'नागरिकों' की एक सभा के हाथ में था, अन्य नगरों में ऐसी सभाएँ विद्यमान रही होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मेगास्थनीज के विवरण नगरों के स्वायत्तशासन को सूचित करता है। कौटिल्य के अनुसार नगर के शासक को 'नागरक' कहते थे, नगर के शासन में नागरक का वही स्थान था जो जनपद के शासन में 'समाहर्ता' का। नागरक 'नगराध्यक्ष' या 'पौरव्यावहारिक' भी कहा जाता था।

स्थानीय शासन की देखरेख के लिए केन्द्र की ओर से नागरक, स्थानिक और गोप नामक कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे। ये लोग अपने-अपने क्षेत्र के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे, इनके कार्यों का कुछ परिचय कौटिल्य के अर्थशास्त्र के (नागरिकप्रणिधि) प्रकरण से मिलता है, जिसमें नगर की सफाई, अपरिचित यात्रियों का निरीक्षण, अग्नि से मकानों की रक्षा, भोजन की शुद्ध जल से प्राप्ति आदि के सम्बन्ध में बहुत सी व्यवस्थाएँ की गई थी। इनमें से बहुत सी तो मेगास्थनीज के विवरण से मिलती-जुलती भी है। कौटिल्य एवं मेगास्थनीज के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मौर्यकाल में नगर-शासन की अच्छी व्यवस्था थी।

भारती कुमारी
A.I.H.C.
Date — 19-06-2021